दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

रि.या. (सि) 6527/2008 और सि.वि.12446-47/2008

राजकुमार शिवहरे ...याचिकाकर्ता की ओर से

से

श्री मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा, अधिवक्ता ।

-बनाम-

प्रवर्तन निदेशालय सहायक निदेशक, मुंबई …प्रत्यर्थी की ओर से

श्री संजय कात्याल, अधिवक्ता।

निर्णय की तिथि : 24 सितंबर, 2008

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमजीत सेन

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एल. भयाना

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में रिपोर्ट किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. विक्रममजीत सेन (मौखिक)

1. यह रिट याचिका विदेशी मुद्रा, जनपथ, नई दिल्ली अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 17.7.2008 के आदेश की आलोचना करती है। याचिकाकर्ता का प्रतिवाद यह है कि

कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उस एकमात्र गवाह से प्रति-परीक्षा करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी गवाही के आधार पर वित्त मंत्रालय, मुंबई के विशेष प्रवर्तन निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता के हितों के प्रतिकूल प्रतिकूल आदेश पारित किए गए थे।

2. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय से प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि यदि याचिकाकर्ता रिट याचिका या यहां तक कि अपील दायर करने का इच्छुक है, तो मामले में क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय होगा जहां याचिकाकर्ता रहता है और अपना व्यवसाय करता है, जहां कार्रवाई का पूरा कारण उत्पन्न हुआ है और जहां न्यायनिर्णयन हुआ है। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपीलीय अधिकरण के अवस्थान, विदेशी मुद्रा विनिमय के दिल्ली में होने पर पर भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि प्रारंभिक आपत्ति उचित है।

3. यह स्थिति संघ सरकार के सदृश है। यह कथन कि संघ सरकार भारतीय क्षेत्र के हर हिस्से में स्थित है और इसलिए देश के किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है,किसी भी तरह से गलत नहीं है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है है कि मुवक्किल अपनी मर्जी और सुविधा के अनुसार किसी भी न्यायालय को चुन सकता सकता है। आम तौर पर, मामले के कारण का कुछ हिस्सा, बल्कि महत्वपूर्ण हिस्सा न्यायालय के क्षेत्रीय प्रभाव के भीतर उत्पन्न होना चाहिए था जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुना जाता है। कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ, एआईआर 2004

एससी 2321 इन पंक्तियों पर कानून को स्पष्ट करता है, जैसा कि इसके निम्नलिखित पैराग्राफ से स्पष्ट है: -

> हालांकि, जब कोई आदेश न्यायालय या अधिकरण या कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा, चाहे वह किसी क़ानून के प्रावधानों के तहत हो या अन्यथा, पारित किया जाता है, तो कार्रवाई के कारण का हिस्सा उस स्थान पर उत्पन्न होता है। यहां तक कि किसी दिए गए मामले में, जब मूल प्राधिकरण एक स्थान पर गठित किया गया है और अपील प्राधिकरण किसी अन्य स्थान पर गठित किया गया है, है, तो रिट याचिका उस उच्च न्यायालय में स्वीकार्य होगी जिसके अधिकारिता अधिकारिता में वह स्थित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील प्राधिकरण के आदेश को भी अपास्त किया जाना अपेक्षित है और चूंकि मूल प्राधिकरण का आदेश अपील प्राधिकरण के आदेश के साथ विलय हो जाता है।
>
> .....
>
> हालांकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भले ही कार्रवाई के कारण का का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के अधिकारिता में उत्पन्न होता है, लेकिन इसे अपने आप में उच्च न्यायालय को मामले को गुणागुण के आधार पर तय करने के लिए बाध्य करने वाला निर्णायक कारक नहीं माना माना जा सकता है। उपयुक्त मामलों में, न्यायालय फोरम संयोजकों के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।
> (देखें भागर सिंह बग्गा बनाम दीवान जगबीर साहनी, एआईआर 1941 कैल कैल 670; मंडल जलाल बनाम मदनलाल, (1945) 49 सीडब्ल्यूएन 357; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम मेसर्स झरिया टॉकीज एंड कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (1997) सीडब्ल्यूएन 122; एस.एस. जैन एंड कंपनी कंपनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1994) सीएचएन 445; मेसर्स न्यू होराइजन लिमिटेड बनाम भारत संघ, एआईआर 1994 दिल्ली 126)।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय की विभिन्न खंड न्यायपीठों ने अन्य बातों के साथ-साथ सूरज वूलन मिल्स बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, बॉम्बे, 2000 (123) ई.एल.टी. 471 (दिल्ली), बॉम्बे स्नफ प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2006 (194) ई.एल.टी. 264 (दिल्ली) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, 1998 (47) डीआरजे 667 (डीबी) में स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय को केवल इसलिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उसके समक्ष अपील की जा रही है, वह उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित है। सेठ बनारसी दास गुप्ता -बनाम- सीआईटी, (1978) 113 आईटीआर 817 और बिड़ला कॉटन एंड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड -बनाम- सीआईटी, राजस्थान, (1980) 123 आईटीआर 354 में इस न्यायालय ने अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि दोनों ही निर्धारिती दिल्ली के बाहर रहते थे और व्यवसाय करते थे। संविधान के अनुच्छेद 226 (1) को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगले प्रावधान के बिना, किसी उच्च न्यायालय को किसी ऐसे पक्षकार के विरुद्ध रिट या आदेश जारी करने का अधिकार अधिकार नहीं हो सकता जो उस उच्च न्यायालय की सामान्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित नहीं है। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण या सरकार के विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति, चाहे वह किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हो, अब बहस का विषय नहीं रह गई है। ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्त या पूर्व शर्त यह है कि कार्रवाई का कारण उस विशेष उच्च न्यायालय के अधिकारिता के भीतर उत्पन्न होना चाहिए। हालाँकि, यह तार्किक रूप से अनुपालन नहीं करता है कि यदि वाद के कारण का

का कोई भाग उस अधिकारिता के अंतर्गत उत्पन्न होता है, जिस पर उच्च न्यायालय का का प्रभाव है, तो उसे उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, न कि याचिकाकर्ता को किसी अन्य उच्च न्यायालय में अपना उपचार प्राप्त करने के लिए निर्देश देना चाहिए, जो इस कारण से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिक उपयुक्त है कि वाद के कारण का प्रमुख, पर्याप्त या महत्वपूर्ण भाग उस न्यायालय में उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना न्यायसंगत है, या तो यदि व्यक्ति, प्राधिकरण या सरकार अपने क्षेत्रों के भीतर स्थित है या यदि **कार्रवाई के कारण का महत्वपूर्ण हिस्सा उसके क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हुआ है**। इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 का औचित्य अनुच्छेद 226 (2) पर भी लागू लागू होगा। इन विचारों मंच कन्वेनियंस शब्द में सटीक रूप से समाहित किया गया है, जिसका तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ कानूनी कार्रवाई सबसे उचित तरीके से की जा सकती है, जिसमें पक्षों और जनता के सर्वोत्तम हितों पर विचार किया जाता है (ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखें)। रिट न्यायालय को हमेशा खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि उसका चयन दुर्भावनापूर्ण या मंच शॉपिंग का उदाहरण नहीं है।

5. इस प्रश्न को अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अंबिका इंडस्ट्रीज** बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2007) 6 एससीसी 769 के मामले में आधिकारिक रूप से सुलझा लिया गया है, जहां ऊपर उद्धृत कई निर्णयों की समीक्षा की गई है। उस मामले में याचिकाकर्ता/निर्धारिती लखनऊ में कारोबार करता था, जहां उसका कर निर्धारण भी किया गया था। इसने सी.ई.एस.टी.ए.टी., नई दिल्ली से संपर्क किया, जिसने उत्तर प्रदेश,

महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपील को राज्यक्षेत्रीयता की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील एक निष्फल अभ्यास साबित हुई। उनके आधिपत्य ने टिप्पणी की कि "पीड़ित व्यक्ति को डोमिनस लिटिस माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, वह एक या दूसरे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का चुनाव करता है, उच्च न्यायालय का निर्णय केवल उन अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा जो उसके अधिकारिता में हैं। यह केवल भिन्न अधिकारिता के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों पर ही प्रेरक मूल्य का होगा। यदि किसी उच्च न्यायालय का बाध्यकारी अधिकार उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से आगे नहीं बढ़ता है बढ़ता है और एक उच्च न्यायालय का निर्णय उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर के अन्य उच्च न्यायालयों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं नहीं होगा, तो किसी प्रकार की न्यायिक अराजकता सामने आएगी। यदि किसी उच्च न्यायालय का बाध्यकारी प्राधिकार उसके क्षेत्रीय अधिकारिता से आगे नहीं बढ़ता है और और उच्च न्यायालय का निर्णय उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर के अन्य उच्च न्यायालयों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं होगा, तो किसी प्रकार की न्यायिक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। बॉम्बे में किए गए मूल्यांकन के के आदेश से प्रभावित एक निर्धारिती, उसके द्वारा निर्धारित कानून का लाभ उठाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकारिता का आह्वान कर सकता है और जो उसके उसके अनुकूल हो सकता है और इस प्रकार वह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से सफलतापूर्वक बचने में सक्षम होगा। ... यह फोरम शॉपिंग के मुद्दे को जन्म

देगा। .... उदाहरण के लिए, बॉम्बे में किए गए मूल्यांकन आदेश से प्रभावित एक निर्धारिती उसके द्वारा निर्धारित कानून का लाभ उठाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत हो सकता है।

6. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (संक्षेप में 'फेमा') की धारा 35, अपीलीय अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार देती है। धारा का स्पष्टीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय का अर्थ है "वह उच्च न्यायालय जिसके अधिकारिता में पीड़ित पक्ष सामान्यतः निवास करता है या व्यवसाय करता है या या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है" और आगे यह स्पष्ट करता है कि यदि अपील केंद्र सरकार द्वारा दायर की जाती है तो यह प्रत्यर्थी का निवास या व्यवसाय का स्थान है जो प्रासंगिक और निर्धारक कारक है। कोई भी संदेह जो बना रह सकता है, फेमा फेमा की धारा 35 द्वारा दूर किया गया है।

7. इसलिए, दो कारणों से इस न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना करना चाहिए - पहला, **अंबिका इंडस्ट्रीज** में बताए गए सामान्य सिद्धांतों के आधार पर और दूसरा, फेमा की धारा 35 के आधार पर।

8. रिट याचिका को इस कारण से खारिज कर दिया जाता है कि इस न्यायालय को राज्यक्षेत्रीयता की कमी के आधार पर अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

याचिकाकर्ता को उपयुक्त उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

न्या. विक्रमजीत सेन,

न्या. एस.एल.भयाना,

24 सितम्बर ,2008

टीपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*